कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 460 / 2022 / 520   दिनांक :25/ 01 / 2022

–:: आदेश ::–

जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र–द्वितीय में कार्यरत श्री **मुकेश चन्द भारद्वाज,** रीडर / शेरिस्तेदार ग्रेड–III / लिपिक ग्रेड–I, हाल पदस्थापन न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम–04, जयपुर महानगर–द्वितीय को पूर्व में शेट्ठी कमिशन के अन्तर्गत उनके विरूद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही के कारण पदोन्नति का लाभ नहीं दिये जाने व उनसे कनिष्ठतम कर्मचारी को लिपिक ग्रेड–II से रीडर / शेरिस्तेदार ग्रेड–III / लिपिक ग्रेड–I के पद पर पदोन्नति का लाभ दिये जाने के उपरान्त् उक्त विभागीय जांच को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप उनसे कनिष्ठतम कर्मचारी की उक्तानुसार पदोन्नति होने के क्रम में श्री मुकेश चन्द भारद्वाज को शेट्ठी कमिशन के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2013 से **लिपिक ग्रेड–II के पद से रीडर / शेरिस्तेदार ग्रेड–III / लिपिक ग्रेड–I के पद पर** तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से विभागीय पदोन्नति सह्–प्रशासनिक समिति की अनुशंषा के आधार पर **एतद्द्वारा संशोधित पदोन्नति दी जाती है।** श्री भारद्वाज को दिनांक 01.07.2013 से पीबी–1 रनिंग पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे–2800 /– तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1) एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.13(1)एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 09.12.2017 के तहत पे–लेवल एल–08 के अनुसार वेतन स्वीकृत किया जाता है।

श्री भारद्वाज की उपरोक्त संशोधित पदोन्नति के तहत **संशोधित वरिष्ठता** इस कार्यालय द्वारा जारी स्थाई वरीयता सूची जो आदेश क्रमांक 4455 दिनांकित 16.11.2019 के द्वारा जारी की गई है, में रीडर / शेरिस्तेदार ग्रेड–III / लिपिक ग्रेड–I की स्थाई वरीयता सूची में क्रम सं. 106 के स्थान पर उक्त सूची में क्रम सं. 05 पर उल्लेखित श्रीमती ममता भटनागर एवं क्रम सं. 06 पर उल्लेखित श्री भगवान सहाय मीणा के मध्य निर्धारित की जाती है।

नोट :–

1. श्री भारद्वाज को उक्त संशोधित पदोन्नति से संबंधित समस्त वित्तीय लाभ उक्त पदोन्नत पद पर पदोन्नति की दिनांक से देय होंगे।
2. श्री भारद्वाज की उक्त संशोधित पदोन्नति से संबंधित वित्तीय लाभ दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 02.09.2016 तक की ऐरियर राशि राजस्थान वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.09.2016 के अनुसार उनके जी.पी.एफ. खाते में जमा की जावेगी एवं बाद की वेतन संबंधी समस्त ऐरियर राशि नियमानुसार देय होंगी।
3. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारी की सेवा–पुस्तिका में किया जावे।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 460 / 2022 / 521   दिनांक :25/ 01 / 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. विशिष्ठ न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम–04, जयपुर महानगर–द्वितीय
04. संबंधित कर्मचारी श्री मुकेश चन्द भारद्वाज, रीडर / शेरिस्तेदार ग्रेड–III / लिपिक ग्रेड–I
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. निजी पत्रावली
07. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय